



# झारखण्ड सरकार झारखण्ड संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा पर्षद

विज्ञापन संख्या : जे.सी.ई.सी.ई.बी./88/18-54

राँची/दिनांक: 05/07/2019

## औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में शैक्षणिक सत्र-2019-20 में नामांकन के निमित्त संशोधित एवं अंतिम मेधा-सूची के प्रकाशन तथा प्रथम साक्षात्कार (First Round of Counselling) से संबंधित विस्तृत सूचना

पर्षद कार्यालय के विज्ञापन संख्या: जे.सी.ई.सी.ई.बी./88/18-13, राँची दिनांक 02.05.2019 द्वारा राज्य के सभी, N.C.V.T. से मान्यता प्राप्त, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में प्रवेश हेतु 8वीं तथा 10वीं कक्षा में उत्तीर्णता प्राप्त कर चुके आवेदकों से दिनांक 25.06.2019 तक प्राप्त आवेदन पत्रों (On-line) में अंकित प्राप्तांक प्रतिशत के आधार पर 8वीं एवं 10वीं कक्षा स्तरीय औपबंधिक मेधा-सूची (Provisional Merit List) दिनांक-29.06.2019 को पर्षद के अधिकृत वेबसाईट पर <http://jceceb.jharkhand.gov.in> के Homepage पर "Download Column" में प्रकाशित कर दी गई थी।

उक्त औपबंधिक मेधा-सूचियों में शामिल आवेदकों से उनके प्रविष्टियों में कोई त्रुटि/गलती लगने पर उसके संशोधन के लिए दिनांक-02.07.2019 तक आवेदन पत्र मॉगे गये थे। आवेदकों से प्राप्त आपत्तियों से संबंधित आवेदन पत्रों के आधार पर निराकरणोंपरांत दिनांक-05.07.2019 को संशोधित एवं अंतिम मेधा-सूची जारी कर दी गयी है। आवेदकों द्वारा पर्षद के अधिकृत वेबसाईट से अपना-अपना Rank Card, दिये गये अनुदेशों का अनुसरण करते हुए अध:भारित (Download) कर सकते हैं।

2. 10वीं एवं 8वीं कक्षा स्तरीय मेधा सूची के आधार पर कमश: दिनांक-08.07.2019 तथा 16.07.2019 से प्रथम साक्षात्कार, Computerized Multi Table Counselling के माध्यम से संशोधित एवं अंतिम मेधा सूची के आधार पर की जायेगी। संस्थान-वार/व्यवसाय-वार अद्यतन रिक्त सीटों की जानकारी, पर्षद के अधिकृत वेबसाईट के Homepage पर "Live (Current) seat Matrix " Link पर Click कर प्राप्त कर सकते हैं। अत: सभी आवेदकों को सलाह दी जाती है कि वे साक्षात्कार में भाग लेने के पूर्व उपलब्ध सीटों की अद्यतन स्थिति से अवगत होकर ही साक्षात्कार में भाग लें।

3. साक्षात्कार हेतु कंडिका-10 के अनुसार बुलाये गये अभ्यर्थियों को, साक्षात्कार के समय, निम्नलिखित प्रमाण-पत्रों/दस्तावेजों की मूल प्रति (Original copy) तथा उसकी एक-एक छायाप्रति (Xerox) जो कि स्वअभिप्रमाणित (Self Attested) हो, साथ में लाना अनिवार्य है। वांछित प्रमाण-पत्रों/दस्तावेजों की सिर्फ छायाप्रति (Xerox) या फैक्स कॉपी (Fax Copy) उपलब्ध कराने पर, उनकी मान्यता नहीं दी जाएगी और ना ही इस आधार पर सीट/व्यवसाय/संस्थान का आबंटन किया जाएगा।

(क) आठवीं कक्षा परीक्षा का अंक पत्र तथा संबंधित विधालय के प्राध्यानाध्यपक द्वारा निर्गत प्रमाण-पत्र जिसमें अभ्यर्थी का जन्म-तिथि अंकित हो, (ख) दसवीं/माध्यमिक/समकक्ष परीक्षा का प्रवेश-पत्र, अंक पत्र तथा उत्तीर्णता प्रमाण-पत्र, (ग) औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में नामांकन से संबंधित संशोधित एवं अंतिम मेधा-सूची

की अधःभारित (Download) प्रति (घ) झारखण्ड राज्य के अनुमण्डल पदाधिकारी (असैनिक) [Sub-Divisional Officer (Civil)] या उपायुक्त [Deputy Commissioner] द्वारा झारखण्ड सरकार के कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग के अधिसूचना झापांक-7/आ0 नीति (सर्वदलीय बैठक) 27/2002 (खण्ड) का0 - 3198, दिनांक 18.04.2016 के आलोक में निर्गत पत्र, पत्र सं0-14/स्थानीयता नीति-14-03/2016 का0-4650 दिनांक 02.06.2016 के अंतर्गत विहित प्रपत्र में जारी स्थानीय निवासी प्रमाण-पत्र, (ङ) झारखण्ड सरकार के कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग के पत्रांक-14/जा0नि0-03-13/2015/का0-1754 दिनांक-25.02.2019 के अंतर्गत विहित प्रपत्र में झारखण्ड राज्य के अंचल अधिकारी (Circle Officer) या अनुमण्डल पदाधिकारी (असैनिक) [Sub-Divisional Officer (Civil)] या उपायुक्त (Deputy Commissioner) द्वारा जारी जाति प्रमाण-पत्र (आरक्षण का लाभ लेने की स्थिति में)।

अत्यंत पिछड़ा वर्ग (अनुसूची - 1) तथा पिछड़ा वर्ग (अनुसूची - 2) के अभ्यर्थियों को कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, राँची के पत्रांक-14/जा0नि0-03-13/2015/का0-1754 दिनांक-25.02.2019 के आलोक में "क्रीमी लेयर" अवधारणा के समावेश संबंधित प्रपत्र में ही जाति प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। अत्यंत पिछड़ा वर्ग (अनुसूची - 1) तथा पिछड़ा वर्ग (अनुसूची - 2) के अभ्यर्थी जो क्रीमी लेयर के अन्तर्गत नहीं आते हैं, उन्हें ही आरक्षण का लाभ देय होगा। (च) दिव्यांग अभ्यर्थियों को चिकित्सा बोर्ड के अध्यक्ष द्वारा निर्गत तथा चिकित्सा अधीक्षक/मुख्य चिकित्सा अधिकारी/अस्पताल के मुखिया द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित निःशक्तता प्रमाण-पत्र (छ) पासपोर्ट साईज फोटोग्राफ की एक प्रति।

यदि किसी अभ्यर्थी के पास उपरोक्त (घ) एवं (ङ) में वर्णित प्रमाण-पत्र/पत्रों, सक्षम स्तर के पदाधिकारी द्वारा वांछित अद्यतन प्रपत्र में निर्गत नहीं है तो अभ्यर्थियों के पास उपलब्ध प्रमाण पत्र/पत्रों तथा नये विहित प्रपत्र में ऑनलाईन स्थानीय निवासी एवं जाति प्रमाण पत्र को बनवाने के लिये आवेदन समर्पित कर चुके हैं तथा साक्षात्कार के समय संबंधित प्राप्ति रसीद प्रस्तुत करते हैं तो उन्हें भी संस्थान/व्यवसाय/सीट का औपबधिक आवंटन किया जायेगा।

4. साक्षात्कार के समय आधार कार्ड की मूल प्रति साथ में लाना अनिवार्य (Essential) है।

5. साक्षात्कार शुल्क :- सामान्य/पिछड़ी जाति - I/पिछड़ी जाति - II कोटि के अभ्यर्थियों को साक्षात्कार में सम्मिलित होने के लिए ₹ 400/- तथा अनुसूचित जाति/जनजाति कोटि/सभी कोटि के महिला अभ्यर्थियों को ₹ 250/- का साक्षात्कार शुल्क जमा करना अनिवार्य होगा, जो अप्रतिदेय (Non-refundable) होगा।

साक्षात्कार शुल्क जमा करने का तरीका:-

क) बैंक चालान (Bank Challan) के माध्यम से यूनाईटेड बैंक ऑफ इंडिया के किसी भी शाखा में या अन्य किसी बैंक से यूनाईटेड बैंक ऑफ इंडिया के खाते में जमा किया जा सकेगा। बैंक चालान (Bank Challan) की प्रति अधिकृत वेबसाईट पर Download कॉलम में उपलब्ध है जिसमें खाता सं0 एवं अन्य जानकारी उपलब्ध है।

ख) बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से जो "Controller of Examination, J.C.E.C.E.Board" के माध्यम से निर्गत हो तथा Ranchi में भुगतये हो।

नोट 1:- साक्षात्कार शुल्क जमा करना अनिवार्य है अन्यथा उन्हें साक्षात्कार में शामिल नहीं किया जायेगा।

6. आबंटित संस्थान में नामांकन लेने की अंतिम तिथि अभ्यर्थियों के औपबंधिक सीट आबंटन पत्र में अंकित रहेगा।

7. साक्षात्कार स्थल :- झारखण्ड संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा पर्वद कार्यालय परिसर, विज्ञान एवं प्रावैधिकी परिसर, सिरखा टोली, नामकुम-तुपुदाना रोड, नामकुम, राँची।

8. दिनांक 08.07.2019 से दिनांक 16.07.2019 तक का साक्षात्कार, संयुक्त मेधा सूची (Combined Merit List) के अनुसार कक्षा-वार आयोजित की जा रही है। अतः आरक्षित कोटि/कोटा यथा EWS/SC/ST/BC-I/BC-II/ PH/Primitive Tribal Group, के अभ्यर्थियों को यह सुविधा रहेगी कि वे संयुक्त मेधाक्रमानुसार निर्धारित साक्षात्कार के दिन अनारक्षित कोटि के लिए आरक्षित संस्थानों/व्यवसायों/सीटों के साथ-साथ अपने आरक्षित कोटि/कोटा के लिए आरक्षित संस्थानों/ व्यवसायों /सीटों का भी चयन कर सकते हैं। अतः वे संयुक्त मेधाक्रम से आयोजित साक्षात्कार के दिन ही अपने आरक्षण के दावे के समर्थन में प्रमाण-पत्र अवश्य लावें।

9. औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में शैक्षणिक सत्र-2019-20 में नामांकन के निमित्त आवेदकों द्वारा ऑन-लाईन माध्यम से जमा किये गये आवेदन पत्रों में प्रविष्ट प्राप्तांको के आधार पर कक्षा-वार संशोधित एवं अंतिम मेधा-सूचियाँ तैयार की गई है। यदि किसी आवेदक के प्राप्तांक/प्राप्तांक प्रतिशत में अब भी त्रुटि पायी जाती है तथा तदनुसार मेधा-सूची प्रभावित होती है तो आवेदन पत्र जमा करने से संबंधित विज्ञापन (संख्या: जे.सी.ई.सी.ई.बी./88/18-13, राँची दिनांक 02.05.2019) की कंडिका 2(ख) में अंकित निदेश के आलोक में वैसे सभी आवेदकों को, सीटें खाली रहने की स्थिति में, सबसे अन्त में मौका दिया जायेगा।

10. अभ्यर्थियों की पात्रता तथा पहचान, प्रमाण पत्रों/अभिलेखों के सत्यापन/जाँच एवं सीट आबंटन के लिए साक्षात्कार कार्यक्रम (तिथि एवं समय) मेधाक्रमानुसार नीचे दिया जा रहा है। किसी कोटि/कोटा में जिस मेधाक्रम से सीटें भर जायेंगी, उस मेधाक्रम के बाद उस कोटि/कोटा के अभ्यर्थियों का साक्षात्कार नहीं लिया जाएगा।



साक्षात्कार निम्न कार्यक्रम के अनुसार कक्षा-वार आयोजित की जायेगी :-

10.2: Counselling as per CML Rank (संयुक्त मेधाक्रमानुसार) on the basis of class 10 <sup>th</sup>					
CML Rank Range		Counselling Date & Time	CML Rank Range		Counselling Date & Time
From	To		From	To	
1	600	08.07.2019/10:00 AM	601	1,200	08.07.2019 / 01:00 PM
1,201	2,100	09.07.2019/10:00 AM	2,101	3,000	09.07.2019 / 01:00 PM
3,001	4,250	10.07.2019/10:00 AM	4,251	5,500	10.07.2019 / 01:00 PM
5,501	7,500	11.07.2019/10:00 AM	7,501	9,500	11.07.2019 / 01:00 PM
9,501	12,000	12.07.2019/10:00 AM	12,001	14,500	12.07.2019 / 01:00 PM
14,501	17,500	13.07.2019/10:00 AM	17,501	20,500	13.07.2019 / 01:00 PM
20,501	22,311	15.07.2019/10:00 AM	All SMQ Candidates		15.07.2019 / 01:00 PM
10.3: Counselling as per CML Rank (संयुक्त मेधाक्रमानुसार) on the basis of class 8 <sup>th</sup>					
CML Rank Range		Counselling Date & Time	CML Rank Range		Counselling Date & Time
From	To		From	To	
1	595	16.07.2019/11:00 AM	All SMQ Candidates		16.07.2019 / 01:00 PM

**नोट 2:**—उपरोक्त सूचियों में सम्मिलित एस0एम0क्यू0 कोटा के अभ्यर्थियों को कोटा के लिए आरक्षित सीटें, एस0एम0क्यू0 कोटा हेतु निर्धारित साक्षात्कार के दिन ही, प्राथमिकता कोड के आधार पर आवंटित किया जाएगा। अगर वे चाहें तो संयुक्त मेधाक्रमानुसार सम्मिलित होकर उपलब्ध संस्थानों/व्यवसायों/सीटों में से मेधा-सह-ईच्छानुसार सीट आबंटन करा सकते हैं। बेहतर विकल्प हेतु एस0एम0क्यू0 कोटा के लिये आयोजित साक्षात्कार के दिन भी संस्थान/व्यवसाय/सीट का पुर्नआबंटन करा सकते हैं।

**नोट 3:**—दिव्यांगों के लिए आरक्षित सीटों का आबंटन, संयुक्त मेधाक्रमानुसार ही किया जायेगा।

**11.** अंतिम रूप से चयनित होने के पहले प्रत्येक अभ्यर्थी के प्रमाण-पत्रों की मूल प्रतियों तथा पहचान की छान-बीन एवं सत्यता की जाँच की जायेगी। जाली प्रमाण-पत्र अथवा गलत पहचान के आधार पर नामांकन का प्रयास करने वाले अभ्यर्थियों के विरुद्ध आवश्यक कानूनी कर्वाई की जायेगी। ऐसे अभ्यर्थियों को पर्षद द्वारा आयोजित प्रतियोगिता परीक्षाओं में आगामी तीन वर्षों तक शामिल होने से वंचित कर दिया जायेगा।

**12.** साक्षात्कार के समय अभ्यर्थी की संयुक्त मेधाक्रम संख्या के समय उपलब्ध रिक्त स्थानों में से अभ्यर्थी को व्यवसाय एवं संस्थान का आवंटन, मेधा-सह-ईच्छा के आधार पर, किया जायेगा। साक्षात्कार के लिए अलग से कोई अंक निर्धारित नहीं है।

**13.** यदि किसी अभ्यर्थी की पहचान सत्यापित नहीं होती है अथवा डाक्टरी जाँच में अयोग्य पाये जाते हैं तो वैसे अभ्यर्थियों की उम्मीदवारी स्वतः रद्द समझी जायेगी।

**14.** साक्षात्कार के दौरान यदि अभ्यर्थी अपने मेधाक्रमानुसार उपस्थित होते हैं और सभी वांछित प्रमाण-पत्रों को प्रस्तुत नहीं कर पाते हैं अथवा अपने मेधाक्रमानुसार निर्धारित तिथि/समय पर उपस्थित नहीं होते हैं तथा चालू साक्षात्कार के दौरान किसी साक्षात्कार दिवस में सभी वांछित प्रमाण-पत्रों के साथ उपस्थित होते हैं तो

वैसी स्थिति में उस दिन/समय पर उपलब्ध संस्थानों/व्यवसायों/सीटों के आलोक में ही उनको सीट के विकल्प का चयन करना होगा।

15. प्रत्येक कोटि/कोटा में उपलब्ध रिक्तियों से अधिक संख्या में अभ्यर्थियों को साक्षात्कार हेतु बुलाया गया है। अतः साक्षात्कार हेतु बुलाये गये सभी अभ्यर्थियों को संस्थान/व्यवसाय/सीट आबंटन की गारंटी नहीं है।

16. साक्षात्कार के समय विद्यालय/महाविद्यालय परित्याग प्रमाण-पत्र की आवश्यकता नहीं है। आवंटित संस्थान में नामांकन के समय विद्यालय/महाविद्यालय परित्याग प्रमाण-पत्र जमा करना अनिवार्य होगा।

17. जिन अभ्यर्थियों का मेधाक्रम संशोधित एवं अन्तिम मेधा-सूची में अंकित है, उन्हें साक्षात्कार में सम्मिलित होने के लिए अलग से साक्षात्कार पत्र नहीं भेजा जा रहा है। बल्कि इस विज्ञप्ति के माध्यम से साक्षात्कार के लिए आमंत्रित किये जाते हैं कि वे इस सूचना के आधार पर ही निर्धारित तिथि एवं Counselling Time पर, साक्षात्कार में, निश्चित रूप से उपस्थित हो अन्यथा उन्हें अनुपस्थित मान लिया जाएगा तथा उपरोक्त कण्डिका 14 के अनुसार ही संस्थान/व्यवसाय/सीट चयन का अवसर दिया जाएगा। इसके लिये पर्सद उत्तरदायी नहीं होगा।

18. अभ्यर्थी द्वारा मेधा-सह-ईच्छानुसार चालू साक्षात्कार के समय संस्थान/व्यवसाय/सीट का आबंटन करा लेने पर पुनः चालू साक्षात्कार में, एस0एम0क्यू0 के अभ्यर्थियों को छोड़कर, दोबारा भाग लेने की अनुमति नहीं दी जायेगी।

19. किसी भी प्रकार के संशय की स्थिति में परीक्षा नियंत्रक, झारखण्ड संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा पर्सद का निर्णय अंतिम एवं बाध्यकारी होगा।

20. साक्षात्कार से संबंधित किसी वांछित जानकारी हेतु पर्सद के वेबसाईट <http://jceceb.jharkhand.gov.in> और दूरभाष सं. 9264473892/9264473893 पर सम्पर्क किया जा सकता है।

ह0/-

(दिलीप कुमार झा, मा0प्र0से0)  
परीक्षा नियंत्रक

ज्ञापांक : जे.सी.ई.सी.ई.बी./88/18 - 431

,राँची/दिनांक: 05/07/2019

प्रतिलिपि:-

परीक्षा शाखा को पर्सद के वेबसाईट <http://jceceb.jharkhand.gov.in> के Homepage पर Counselling कॉलम में अपलोड करने हेतु सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

परीक्षा नियंत्रक